MJC - ACCOUNT Semester II

B.Com ~~[illegible]~~ - II Semester (1)

Business Organization and Managment

classmate Date ____ Page ____

Company (कम्पनी)

Q:- कम्पनी की परिभाषा दिजीए। कम्पनी के कौन-कौन विशेषता है।

Ans- कम्पनी शब्द की उत्पत्ति के पीछे की कहानी बेहद रोचक है। प्राचीन रोम में जब लोग भोजन के लिए एकत्रित होते थे तब उस समूह को कम्पनी कहा जाता था। इस प्रकार कम्पनी शब्द का आशय ऐसे व्यक्तियों के समूह से था जो भोजन के लिए एकत्रित हुए हो।

कम्पनी का अर्थ किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के एक संघ से है। अन्य शब्दों कम्पनी का आशय कई व्यक्तियों के ऐसे Group से है जो सम्पत्ति एक Joint fund में अंशदान करते है और जिसका उपयोग किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते है।

<u>कम्पनी की परिभाषा</u>

विभिन्न विद्वानों द्वारा दिये गये परिभाषा निम्नलिखित है —

<u>न्यायाधीश जेम्स के अनुसार</u> — "एक कम्पनी अनेक व्यक्तियों का एक समूह है जिसका संगठन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है।"

<u>प्रो० एल०एच० हैने के शब्दों में</u>, "संयुक्त पूंजी कम्पनी लाभ के लिए बनायी गई व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है। जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशो में विभक्त होती है एवं इसके स्वामित्व के लिए सदस्यता की आवश्यकता होती है।"

<u>भारतीय कम्पनी अधिनियम ~~के~~ 1956 के अनुसार</u>, "कम्पनी का अर्थ इस अधिनियम के अधीन निर्मित तथा पंजीकृत कम्पनी

से है या विद्यमान कम्पनी से है जिसका पंजीयन भारतीय कम्पनी अधिनियम 1882, 1886, 1913 के अधीन हुआ हो।"

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार —
"कम्पनी से इस अधिनियम अधीन या पूर्व कम्पनी विधि के अधीन निगमित कोई कम्पनी से अभिप्रेत है।"

उपरोक्त परिभाषाओं का निष्कर्ष यह निकलता है कि "कम्पनी अनेक व्यक्तियों का ऐसा ऐच्छिक संघ या समुदाय है जिसका सृजन किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है तथा इसके प्रत्येक सदस्य द्वारा सामान्य कोष में धन या धन के स्वरूप अन्य सम्पत्ति का अंशदान किया जाता है।"

कम्पनी की विशेषता —

कम्पनी के निम्नलिखित विशेषता है —

(1) व्यक्तियों द्वारा स्थापना — कम्पनी की स्थापना करने के लिए एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जैसे ~~व्यक्तिगत~~ निजी कम्पनी के लिये कम से कम 2 एवं अधिकतम 200 हो सकती है। सार्वजनिक कम्पनी में 7 एवं अधिकतम पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(2) स्वतंत्र वैधानिक इकाई — कम्पनी एक पृथक वैधानिक इकाई है जो अपने सदस्यों से भिन्न है। यह अपने नाम से सम्पत्ति रख सकती है, किसी से अनुबंध कर सकती है, यह दूसरों पर मुकदमा कर सकती है और दूसरे भी इस पर मुकदमा कर सकते है।

Date ______ Page ______

(3) शाश्वत जीवन — एक कम्पनी का जीवन शाश्वत होता है तथा उसके जीवन पर उसके सदस्यों अथवा संचालकों की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(4) सीमित दायित्व — एक सीमित कम्पनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों तक अथवा उनके द्वारा दी गई गारंटी तक सीमित होता है।

(5) सार्वमुद्रा — एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कम्पनी स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकती इसलिए कम्पनी की एक सार्वमुद्रा होती है।

(6) अंशों का हस्तांतरण — एक सार्वजनिक सीमित कम्पनी के अंश स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरणीय होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से उन्हें खरीदा तथा बेचा जा सकता है।

(7) स्वामित्व तथा प्रबंध अलग — एक सार्वजनिक कम्पनी के सदस्यों की संख्या काफी अधिक होती है इसलिए वे सभी या उनमें से अधिकांश कम्पनी दिन-प्रतिदिन के कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। कम्पनी का प्रबंध संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। जिसके संचालकों को सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अतः कम्पनी का स्वामित्व उसके प्रबंध से अलग होता है।

x ———— x ———— x

Dr. Raj Kumar Prasad
Associate Professor
Deptt. of Commerce
Sher-shah College, SASARAM